

तारीख
हुक्म

उपखण्ड वकालत जयसिंह जी
हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
उपखण्ड वकालत निवेद

श.न. - 24/2023

23.02.2023

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार सम्मन तलबाना पेश होने पर तामील जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 18.04.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

18.04.2023

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार सम्मन तलबाना पेश होने पर तामील जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 26.06.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

26.06.2023

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार सम्मन तलबाना पेश होने पर तामील जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 05.07.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

05.07.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र वकूलाय उभय पक्षकारान् की आपसी सहमति से पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से वकूलाय उभय पक्षकारान् द्वारा प्रकरण में डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी-अपनी सहमति व्यक्त कर दिये जाने से वादपत्र में आज अन्तिम डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में इस

प्रा
औ
र
र
ब

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामचन्द्र बन्सल जयसिंह


हुकम या कार्रवाई सब सपुहस्ताकर सब

१० प्रश्न अस्थायी निषेध

दि. नं. - २५/२००५

अदालत जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।


(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)